सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-57/2017

रूडाराम पुत्र स्व0 मागूराम सैनी जाति माली निवासी जाटावाला की ढाणी तन कस्बा उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू ।

---अपीलान्ट--

---बनाम---

1-मन्दिर अन्य ग्राम उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू जरिये वादमित्र तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज0)

2-राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू ।

3- मूलाराम पुत्र स्व0 मांगूराम सैनी जाति माली निवासी ढाणी राम सुखाली तन कस्बा उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज0)

---रेस्पोडेन्टस--

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री
दिनांक 22-3-2017 द्वारा उप
खण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी ।

---0---

उपस्थिति-

1-श्री विजयपाल एडवोकेट- अपीलान्ट

निर्णय दिनांक- 15.12.2017

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलान्ट ने योग्य अदालत मातहत में दावा घोषणार्थ, बंटवारा एवं दुरूस्ती रेकार्ड का पेश कर निवेदन किया कि आराजी पुराना ख0नं0 1855 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, ख0नं0 1859 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, ख0नं0 1875 रकबा 16 बिस्वा कुल

3 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा ग्राम उदयपुरवाटी तत्कालीन जागीरदार ठा0 रघुवीरसिंह वल्द बिसनसिंह राजपूत से मांगूराम ने काश्त करने के लिए लेकर रेकार्डेड काबिज काश्तकार खातेदार हुआ। जिसका लगान मांगूराम ने दिया । पहले लगान जागीरदारों को तथा बाद में राज्य सरकार को अदा किया गया। मागूराम पुत्र चेताराम के नाम से सम्वत 2012 से 2031 भू-प्रबन्ध विभाग की खतौनी(जमाबन्दी) में दर्ज है। मौके पर कब्जा काश्त राजस्व रेकार्ड से दर्ज है खसरा गिरदावरी सम्वत 2012 से 2035 में कब्जा काश्त है। इसके बाद मूंगा राम का देहान्त हो गया जिसका विरासत का नामान्तरकरण मागूराम के जायज वारिसान रूडाराम, मूलाराम, बनवारी पिता मूंगाराम के दर्ज होकर जमाबन्दी सं0- 2028 से 2035 में दर्ज है । गत खसरा नम्बर 1855 का नया ख0न0 2862 रकबा 0.33 हैक्टर बना । विवाद भी इसी खसरा नम्बर का है जिसको भू-प्रबन्ध विभाग ने बिना किसी आधार के प्रतिवादी संख्या-1 के नाम दर्ज कर दिया जबकि भू-प्रबन्ध विभाग को किसी की खातेदारी समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं है ।उक्त आराजी पर वादी बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज रहा है ।वादी एवं प्रतिवादी सं0-3 आपस में सगे भाई है । जिन्होने आपस मे मिल कर बंटवारा कर लिया जिसमे बंटवारा की लिखावट यादाश्त के लिये 10/-रूपये के जूडिशील स्टाम्प पर लिख लिया । जिसमे ख0नं0 1855 हाल ख0नं0 2862 रूडाराम को सम्भलाया जाना दर्ज किया है ।इस आराजी पर वादी ने पानी का कनेक्शन लिया । नगरपालिका उदयपुरवाटी से वादी ने एन0ओ0सी0 ली है। इस प्रकार विवादित आराजी पर वादी का कब्जा काश्त है ।सैटलमेन्ट ने ख0नं0 1855 हाल ख0नं0 2862 की खातेदारी गलत रूप से वादी की समाप्त कर प्रतिवादी सं0-1 के नाम करने में कानूनी भूल की है ।अतः वादी का दावा स्वीकार कर वादी को ख0नं0 2862 रकबा 0.33 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । अदालत मातहत ने बाद सुनवाई वादी का दावा साबित नही होने से खारिज कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अदालत मातहत ने अपीलान्ट की साक्ष्य एवं प्लीडिंग की विवेचना किये बिना अपना आदेश पारित किया है । अदालत मातहत ने अपना आदेश दिनांक 22-3-2017 आदेश-20 नियम-5 सीपीसी की पालना न कर दिया है । अपीलान्ट ने तनकी संख्या-1 व 2 को बखूबी साबित किया है । रेस्पोडेन्ट संख्या -3 ने अपीलान्ट की प्लीडिंग का कोई खण्डन नहीं किया है । गत ख0नं0 1855 हाल ख0नं0 2862 का पहले अपीलान्ट का पिता टिनेन्ट था । उसके देहान्त के बाद यह आराजी उत्तराधिकार में अपीलान्ट, रेस्पोडेन्ट संख्या-3 एवं बनवारी को प्राप्त हुई । जिसकी खातेदारी जरिये नामान्तरकरण दर्ज होकर जमाबन्दी में दर्ज हो गई ।इस खातेदारी को भू-प्रबन्ध विभाग ने बिना किसी आधार के समाप्त कर रेस्पोडेन्ट संख्या-1 के नाम दर्ज करने में कानूनी भूल की है । जबकि भू-प्रबन्ध विभाग को पूर्व की जमाबन्दी की पुनरावर्ती ही करने का अधिकार है भू-प्रबन्ध विभाग को किसी की खातेदारी समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं है । विवादित आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त होने की ताईद खसरा गिरदावरियों से साबित है ।यह आराजी मूर्ति मन्दिर की खुद काश्त कभी भी नहीं रही है ।प्रतिवादी संख्या-1, 2 ने अपने जबाब दावे में यह स्वीकार किया है कि सम्वत 2035 तक खातेदारी रूडाराम, मूलचन्द व बनवारी के नाम दर्ज रही है । यह स्वीकार नहीं किया है कि रेकार्ड गलत बना है । जबाब दावे में यह भी स्वीकार नहीं किया गया कि विवादित आराजी पर कभी मूर्ति मन्दिर का कब्जा काश्त रहा हो । न ही इस आराजी पर मूर्ति मन्दिर की खुदकाश्त मानी है । इसके बाद भी अदालत मातहत ने वादी का दावा विधि के विरुद्ध खारिज किया है । बनवारी नाऔलाद फौत हुआ है । जिसके विधिक वारिस हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं0-3 है । जिनके मध्य मौखिक बंटवारा हो चुका । जिसके आधार पर अपीलान्ट विवादित आराजी पर काबिज काश्तकार है। इसके बाद भी अदालत मातहत ने वादी का

अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त कर अपीलान्ट का दावा स्वीकार कर डिक्री किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोंडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमो में दर्ज तथ्यो को दौहराते हुये कथन किया कि अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त कर दावा डिक्री किया जावे ।

राजकीय अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि अदालत मातहत का निर्णय उचित एवं विधिक है। विवादित आराजी ख0न0 2862 राजस्व रेकार्ड में माफी मन्दिर श्री सीताराम वाके देह पुजारी उमाकान्त के नाम दर्ज है । राजस्व रेकार्ड से स्पष्ट है कि अपीलान्ट का विवादित आराजी पर न तो कब्जा है और न ही राजस्व रेकार्ड के आधार पर खातेदार है । सैटलमेन्ट ने कोई गलती नहीं की है । अपीलान्ट को विवादित आराजी पर कोई हक अधिकार नही है । अदालत मातहत का निर्णय उचित एवं विधिक है । अपील खारिज की जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । पर्चा चकबन्दी सैटलमेन्ट सम्वत 2012 से 2031 मे विवादित आराजी मांगू वल्द चेता के नाम दर्ज है ।नकल जमाबन्दी सं0-2020 मे 2023, 2024 से 2027, मे विवादित आराजी मांगू वल्द चेता की दर्ज है । नामान्तरकरण सं0-256 विरासत के आधार पर रूडाराम, मूलाराम, बनवारी पि0 मांगू के नाम स्वीकार हुआ । जमाबन्दी सं0-2028 से 2031, 2032 से 2035 में विवादित आराजी की खातेदारी रूडाराम, मूलाराम, बनवारी पि0 मागूराम के नाम दर्ज है । खसरा गिरदावरी सं0 2012 से 2015, 2016, 2021 से 2024, 2025 से 2028 में खातेदारी मागू वल्द चेता की दर्ज है तथा काश्त भी मागू की दर्ज है ।खसरा गिरदावरी सं0-2029 से 2032 में खातेदारी रूडाराम, मूलाराम, बनवारीलाल

हाल खसरा नम्बर 2862 रकबा 0.33 हैक्टर बने हैं ।जमाबन्दी सं0-2046 से 2049 में ख0नं0 2862 की खातेदारी मन्दिर खातेदार के नाम दर्ज है । प्रमाण पत्र दिनांक 31-5-84 में बनवारी नाऔलाद फौत हुआ जिसके वारिसान उसके भाई मूलाराम व रूडाराम है।भाईयों का बंटवारानामा दिनांक 10-9-1992 में ख0नं0 1855 नया ख0नं0 2862 हिस्से में रूडाराम की दी गई है । दिनांक 24-8-94 की पटवारी की रिपोर्ट में ख0नं0 2862 के चारो तरफ फसल की सुरक्षा हेतु चार दीवारी निर्माण की इजाजत दिया जाना उचित बताया है । नकल जमाबन्दी सं0-2070 से 2073 में ख0नं0 2862 की खातेदारी मन्दिर अन्य खातेदार के नाम दर्ज है । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है मूर्ति मन्दिर खुद काश्त दर्ज नहीं है। जागीरदार के कालम में दर्ज है जो बाद में राजकीय दर्ज हुई है तथा पर्चा चकबन्दी सैटलमेन्ट सम्वत 2012 से 2031 मांगू वल्द चेता के नाम दर्ज किया है । इसके बाद नामान्तरकरण संख्या- 256 विरासत के आधार पर रूडाराम, मूलाराम बनवारी पिता मांगू के नाम स्वीकार होकर आज दिनांक तक काबिज काश्तकार दर्ज चले आ रहे हैं । किन्तु सैटलमेन्ट ने नये ख0नं0 2862 रकबा 0.33 हैक्टर को सैटलमेन्ट ने मन्दिर के नाम दर्ज किया है जिसका कोई सक्षम आदेश नहीं है ।अपीलान्ट की खातेदारी को समाप्त करने का अधिकार सैटलमेन्ट विभाग को नहीं है । जो प्रस्तुत नजीरों से स्पष्ट है ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22-3-2017 खारिज किया जाता है तथा वादी का दावा स्वीकार कर आराजी गत ख0नं0 1855 हाल ख0नं0 2862 रकबा 0.33 हैक्टर का अपीलान्ट को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है ।राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया जावे ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 15.12.2017 को सुनाया गया ।

(भंवरलाल मेहरडा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं

डिक्री वर्सिंग अपील

(आर्डर 41 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत - भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर।

इजलास - श्री भंवरलाल मेहरड़ा आर०ए०एस०

रूडाराम पुत्र स्व0ं मांगराम सैनी जाति माली निव जाटावाला की ढाणी नि कस्बा उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
---अपीलान्ट---

---बनाम---

1-मन्दिर अन्य ग्राम उदयपरवाटी तह0 उदयपुरवाटी जरिये वाद मित्र तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुन।

2-राज0 सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

3- मलाराम पुत्र स्व0 मागराम सैनी जाति माली निवासी ढाणी रामसुखयाली तन कैस्बा उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू ।
--रेस्पोडेन्टस--

अपील नम्बर 57 सन् 2017

बनाराजगी डिक्री अदालत उप खण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी

मुकाम -

दिनांक 22 माह 3 सन् 2017

-दावा बाबत -

यह अपील व तारीख ....15-12-17.... हब्स हमारे व हाजिर श्री विजयपाल..........

.... मिनजानिब अपीलान्टस् व हाजिर श्री ....

मिनजानिब रेस्पोडेन्टस् समाहत के लिये हुक्म हुआ कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22-3-17 खारिज किया जाता है तथा वादी का दावा स्वीकार कर आराजी गत खसरा नं0 1855 हाल ख0नं0 2862 रकबा 0.63 हैक्टर का अपीलान्ट को खातेदार काश्तकार घोषित किय जाता है । राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया जावे ।

खर्चा फरीकैन हस्व तकसीत वादाबी युबलिग ......xxx.............. रूपये अदा करें।

खर्चा मुकदमा मातहत का ....xxx............ रूपया अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारिख ..15-12-17........ को जारी की गई।

दस्तख्त -

ओहदा -

अपीलार्थीगण	रूपये पैसे	गैर अपीलार्थीगण	रूपये पैसे
1- स्टाम्प अपील		1- स्टाम्प वकालतनामा	
2- स्टाम्प वकालतनामा		2- स्टाम्प अर्जी	
3- इजराय हुक्मनामा		3- इजराय हुक्मनामा	
4- तलबाना मुतफुरकात		4- मुतफुरकात	
5- मिजान		5- मिजान	
योग		योग	

दस्तख्त -